(11)

ज्ञापांक 05 / जी0

G/04-04-2020

**महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची।**

राँची, दिनांक :– 01 / 01 / 2021

सेवा में,

डॉ0 एम0 तमिल वाणन, भा0पु0से0
वरीय पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :– **भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्र संख्या–13/ $पी_2$–102/2020–09/सी0 दिनांक–01.01.2021**

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपको भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान–Level–13 of Pay Matrix) में दिनांक–01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी अधिसूचना निर्गत की गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

**अनुलग्नक** :– यथोपरि।

1/1/2021

पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार)
झारखण्ड, राँची।

(7)

# झारखण्ड सरकार
## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

**अधिसूचना**

पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार) का कार्यालय
01 JAN 2021

**राँची, दिनांक– 01/01/2021 ई0।**

**13/पी$_2$–102/2020– 09/सी0, डॉ० एम० तमिल वाणन, भा0पु0से0 (2008),** वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस शर्त के साथ भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान–Level-13 of Pay Matrix) में दिनांक–01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लॉट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज–III प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्त्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

**(शैलेश कुमार सिन्हा)**

सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक–13/पी$_2$–102/2020– 09/ राँची, दिनांक– 01/01/2021 ई०।**

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, झारखण्ड, पो०–डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

**ज्ञापांक–13/पी$_2$–102/2020– 09/ राँची, दिनांक– 01/01/2021 ई०।**

**प्रतिलिपिः**–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/विशेष कार्य पदाधिकारी (पुलिस आधुनिकीकरण), झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा/महानिदेशक, झा0स0पु0, झारखण्ड, राँची/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल तथा अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत सभी पदाधिकारी FR–22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

शैलेश 1.1.2021

सरकार के अवर सचिव।

E:\@@@ Tal Singh\New Letter-2020\notification sec-13.docx 103 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~